राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(45) ग्राविवि–5/PMAY-G/ M-1/बैठक/2017-18 जयपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2019

–:: विडियों कॉन्फ्रेंस कार्यवाही विवरण ::–

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सूचना पत्र दिनांक 13.09.2019 के क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में अधिशाषी अभियंता (अभि.)/ आवास प्रभारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त के साथ दिनांक 24.09.2019 को अपरान्ह् 4.00 बजे समिति कक्ष, उत्तर पश्चिम भवन से विडियो कॉन्फ्रेसिंग का आयोजन किया गया।

उक्त वी.सी. में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये :–

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण :–

1. वर्ष 2019–20 के आवंटित लक्ष्यानुसार स्वीकृतिया जारी कराकर दिनांक 30.09.19 तक शत प्रतिशत प्रथम किश्त हस्तानान्तरित करायी जावें। उक्त क्रम में समीक्षा कर शत प्रतिशत स्वीकृतियां जारी नहीं होने की स्थिति में जिलो को यदि आवश्यक हो तो तदनुसार लक्ष्य समर्पण हेतु दिनांक 27.09.19 तक विभाग को अवगत करावें।
2. योजनान्तर्गत दिनांक 24.08.19 व 31.08.19 को आयोजित लाभार्थियों के प्रशिक्षण शिविर के दारौन महात्मा गांधी नरेगा से अनुमत 90 अकुशल श्रमिक के मस्टररोल जारी करने की जिलो से प्राप्त प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये सभी स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों को मस्टररोल जारी किये जाने एवं अन्य योजनाओं यथा उज्जवला, श्रमिक अधिकार कार्ड आदि में कन्वर्जेस के तहत लाभान्वित करने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समितियों द्वारा सभी लाभार्थियों को स्वीकृति के साथ ही पत्र के माध्यम से सूचित किया जावें।
3. उक्त क्रम में लाभार्थियों के मोबाइल पर "आवास एप" इंस्टाल कराकर किश्त हस्तानान्तरण हेतु फोटो अपलोड करने की जानकारी दी जावें। साथ ही जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा कम से कम 50 लाभार्थियों से फोन पर वार्ता कर आवास एप एवं अन्य योजनाओं से कन्वर्जेस के तहत दिये जाने वाले लाभों की जानकारी के संबंध में चर्चा कर सत्यापन हेतु दिनांक 27.09.19 को प्रस्तावित वी.सी. में भी रिपोर्ट से अवगत करावे।
4. ग्रामीण विकास की योजनाओं की प्रगति/जानकारी हेतु जिला व ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों को "ग्राम संवाद" मोबाइल एप अपने मोबाईल पर इंस्टाल करे।
5. योजना की वरीयता सूची में शामिल भूमिहीन पात्र परिवारों को महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर के दौरान पट्टा आवंटन की अब तक की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये जिला स्तर पर विशेष समीक्षा कर शेष 21852 परिवारों को नियमानुसार प्राथमिकता से भूखण्ड आवंटन कराया जाना सुनिश्चित करे।
6. आईआईटी, नई दिल्ली द्वारा विकसित प्रोटोटाइप नक्शों के अनुसार ही प्रोटोटाइप आवास निर्मित किये जावे। उक्त प्रोटोटाइप नक्शों के डिजाइन व तकमीना अलग से प्रेषित कर दी गई है।
7. योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 के स्वीकृत आवासों में से प्रगतिरत 39081 आवासों की जिला स्तर पर समीक्षा कर पूर्ण कराया जावें।
8. योजनान्तर्गत राज्य स्तर से अनुमोदित प्रकरणों का ग्राम सभाओं के अनुमोदन अनुसार रिमाण्ड मॉडयूल पर लंबित सभी प्रकरण 3 दिवस में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रशासनिक मद की राशि स्टेट नोडल खाते में दिनांक 25.09.19 तक आवश्यक रूप से राशि हस्तानान्तरण करने हेतु निर्देशित किया गया, इसके अभाव में प्रशासनिक मद की राशि हेतु AFMS प्रणाली से भुगतान प्रभावी नहीं होने के लिये जिला स्वयं उत्तरदायी होगा।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन :–

1. जिला कलक्टर अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर योजनान्तर्गत अनुमोदित 14 डीपीआर (भगौरा, बांसवाडा को छोडकर) के +- 50% विचलन सीमा के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर विभाग को प्रस्तावित वी.सी. दिनांक 27.09.19 में अवगत करावें।

(के.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि जयपुर।
2 निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रावि जयपुर।
3 जिला कलक्टर, जिला समस्त राजस्थान।
4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिशाषी अभियंता/ आवास प्रभारी, जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि